न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

पंजी क्र. 50 27-12-13

श्री आर.के. द्विवेदी आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत।

27-12-13 अधीक्षक कमिश्नर कार्यालय संभाग शहडोल

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

R-289-III/14

सुदामा पिता विसम्भर काछी निवासी बरबसपुर तहसील मानपुर द्वारा श्रीमती कुन्तीबाई पत्नी सुदामा काछी निवासी बरबसपुर तहसील मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन .... उत्तरवादी

<u>राजस्व निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया जिला–उमरिया (म0प्र0) बसिलसिले राजस्व प्रकरण क्रं. 23 स्वमेव निगरानी/2010–11 आदेश दिनांक 12.02.2013 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959</u>

1014 पेशी आज 7-1-14

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता ग्राम बरबसपुर का पुस्तैनी निवासी होकर ग्राम बरबसपुर की शासकीय भूमि खसरा नं. 135/1 रकवा 1.619 है. जो कि पूरी तरह काबिल काश्त आराजी थी तथा उस पर निगरानीकर्ता के पिता का भी कब्जा दखल पुस्तैनी रूप से चला आ रहा था भूमि पर किसी प्रकार के वृक्ष या छोटे झाड़ अथवा अन्य किसी प्रकार के पेड़ पौधे कभी नहीं थे तथा भूमि पर खेती–बाडी होती थी इसीकारण शासन द्वारा जारी अध्यादेश म0प्र0 ग्रामों की दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत निगरानीकर्ता का कब्जा 02.10.1984 के पूर्व से पाये जाने के कारण आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रं. 146/अ–19(4)/1987–88 आदेश दिनांक 20.07.1988 के द्वारा विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन करते हुए हल्का पटवारी से भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे तथा पट्टा जारी किया गया था और इसतरह आवेदक जहां पहले म0प्र0 शासन की भूमि पर पुस्तैनी रूप से कब्जा दख्ल में था वही 20.07.1988 से बहैशियत भूमिस्वामी के रूप में अपने पट्टे की आराजी पर कब्जा दखल में चला आ रहा है इसी भूमि पर आवेदक का कुंआ माकान भी निर्मित है जिस पर अपने परिवार

R 289/प्रा/14 अपील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.17	आवेदक अनु० एवं पक्षकार सी क0 सुदामा को अनेकों बार सूचना पत्र भेजा गया परन्तु कोई उप0 नहीं हो रहा है। प्रकरण वर्ष 2014 से चल रहा है जो कि 4 वर्ष पुराना है। आज भी तीन 2 बार आवाज लगवायी गई परन्तु कोई उप0 नहीं। अतः उक्त प्रकरण अनुपस्थिति की स्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है प्रकरण रिकॉर्ड दाखिल हो। [illegible]	
[illegible]		